

**BELLA CASA FASHION & RETAIL LTD**

(Formerly Known as Gupta Fabtex Pvt. Ltd.)

Importers, Manufacturer & Exporters of :
Home Furnishing, Garment & FabricsPh. : 0141-2771844
E-mail : info@bellacasa.in
Website : www.bellacasa.in

CIN : L17124RJ1996PLC011522

E-102, 103, EPIP, Sitapura Industrial Area, Jaipur – 302022, INDIA

Ref- BCFRL/SE/2025-26/04

Date: August 25, 2025

To,

Corporate Relationship Department, BSE Limited Phioze Jeejeebhoy Tower, Dalal Street, Mumbai – 400 001	Listing Department, National Stock Exchange of India Limited Exchange Plaza, Bandra Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai – 400 051
Scrip Code-539399	Symbol-BELLACASA

Dear Sir/Madam,

Subject: Newspaper Advertisement for Notice of 29th Annual General Meeting of the Company, E-Voting and Record Date information.

Pursuant to the requirements of the Regulation 30 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (“Listing Regulations”), as amended, from time to time, please find enclosed herewith copies of the Newspaper Advertisement published in the “Financial Express” in English language newspaper and “Dainik Navjyoti ” in Hindi language newspaper on Sunday, August 24, 2025, regarding the notice of 29th Annual General Meeting of the Company scheduled to be held on Tuesday, September 16, 2025 at 01:00 A.M. IST through Video Conferencing (VC)/ Other Audio-Visual Means (OAVM), E-Voting and Record Date information.

You are requested to take the same on record.

Thanking you.
Yours faithfullyFor **Bella Casa Fashion & Retail Limited****Sonika Gupta**
Company Secretary & Compliance Officer
Membership No- A38676

बैला कासा फैशन एंड रिटेल लिमिटेड
पंजीकृत कार्यालय- ई-102, 103, ईपीआईपी, सीतापुरा औद्योगिक क्षेत्र,
जयपुर- 302022 (राजस्थान), वेबसाइट- www.bellacasa.in,
CIN- L17124RJ1996PLC011522,
E-mail- info@bellacasa.in, दूरभाष संख्या- 0141-2771844

29वीं वार्षिक आम बैठक और रिपोर्ट ई-वोटिंग जानकारी की सूचना

एतद्वारा सूचना दी जाती है कि बैला कासा फैशन एंड रिटेल लिमिटेड ("कंपनी") के सदस्यों की 29वीं वार्षिक आम बैठक ("एजीएम") मंगलवार, 16 सितंबर, 2025 को दोपहर 01:00 (IST) वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ("वीसी")/अन्य ऑडियो विजुअल साधन ("ओवीएम") सुविधा के माध्यम से कंपनी अधिनियम, 2013 और उसके तहत नियमों और सेबी (लिस्टिंग दायित्वों और प्रकटीकरण आवश्यकताओं) विनियम 2015 जनरल सर्कुलर संख्या 09/2024 दिनांक 19 सितंबर, 2024 और प्रकटीकरण कार्य मंत्रालय द्वारा जारी द्वारा जारी पहरे के परिपत्रों (एससीए सर्कुलर) और भारतीय प्रतिष्ठित विनियम बोर्ड ("सेबी सर्कुलर") द्वारा जारी सर्कुलर सं. सेबी/एचओ/सीएफडी/सीओडी/पीओडी/पी/सीआईआर / 2024/113 दिनांक 03 अक्टूबर 2024 के अनुसार लागू प्रावधान के अनुपालन में किसी स्थान पर सदस्यों को भौतिक उपस्थिति के बिना आमंत्रित की गई है।

उपरोक्त सूचना की सूचना व्याख्यात्मक विवरण के साथ, 31 मार्च, 2025 को समाप्त वित्त वर्ष के वित्तीय विवरणों सहित वित्तीय वर्ष 2024-25 की वार्षिक वार्षिक रिपोर्ट ("वार्षिक रिपोर्ट") केवल 29 वीं वार्षिक आम बैठक में प्रस्तुत होगी, जिन्हें ईमेल पते कंपनी डिपॉजिटरी प्रतिभागी (गिरो) के साथ पंजीकृत है। एजीएम के नोटिस और वित्त वर्ष 2024-25 की वार्षिक रिपोर्ट का प्रेषण 23 अगस्त, 2025 को पूरा हो गया है। इसके अलावा, लिस्टिंग विनियमों के विनियमन 36(1)(बी) के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2024-25 की वार्षिक रिपोर्ट तक पहुंचने के लिए एक वेब लिंक और वीडियो कोड प्रदान करने वाला एक पत्र भी उन शेरधारकों के पते पर भेजा गया है, जिन्होंने अपने ई-मेस पते पंजीकृत नहीं किए हैं।

उपरोक्त दस्तावेज कंपनी की वेबसाइट अर्थात् www.bellacasa.in, बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट www.bseindia.com और एनएसई लिमिटेड www.nseindia.com पर भी उपलब्ध है। यह नोटिस सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड की वेबसाइट www.evotingindia.com पर भी उपलब्ध है। सदस्यों को 29वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना और वार्षिक रिपोर्ट की वास्तविक प्रति प्रेषित की आवश्यकताओं को एससीए सर्कुलर और सेबी सर्कुलर द्वारा समाप्त कर दिया गया है।

कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 108 के प्रावधानों तथा कम्पनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 तथा संशोधित और सेबी (सूचीकरण दायित्व एवं आवश्यक उद्घोषणा) विनियम 2015, के विनियम 4 के तहत कम्पनी अपने सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग प्रणाली (रिमोट ई-वोटिंग) के माध्यम से एजीएम में पारित होने वाले प्रस्तावित प्रस्तावों पर इलेक्ट्रॉनिक मतदान करने की सुविधाएं प्रदान कर रही है। कम्पनी ने इलेक्ट्रॉनिक ई-वोटिंग सुविधा प्रदान करने के लिये सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) को नियुक्त किया है।

मंगलवार, 9 सितंबर, 2025 कट-ऑफ तिथि को शेर रखने वाले सदस्य सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड ("सीडीएसएल") की ई-वोटिंग प्रणाली ("रिमोट ई-वोटिंग") के माध्यम से 29 वीं वार्षिक आम बैठक में निर्धारित साधारण तथा विशेष व्यवसाय पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट डाल सकते हैं। सभी सदस्यों को सूचित किया जाता है कि:

- रिमोट ई-वोटिंग शनिवार, 13 सितंबर, 2025 को सुबह 9:00 बजे (IST) बजे शुरू होगी और सोमवार, 15 सितंबर, 2025 को शाम 05:00 (IST) बजे समाप्त होगी। रिमोट ई-वोटिंग को अनुमति उक्त तिथि और समय से नहीं दी जाएगी। रिमोट ई-वोटिंग के विस्तृत दिशा-निर्देश पहाणिका की सूचना के नोट-3 में दी गई है।
- कोई भी व्यक्ति जो ईमेल द्वारा 29वीं वार्षिक आम बैठक में वोट करने के बाद कंपनी का सदस्य बन जाता है और कट-ऑफ तिथि को शेर रखता है, वह www.evotingindia.com पर अनुरोध भेजकर लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकता है। हालांकि, अगर रिमोट ई-वोटिंग के लिए सीडीएसएल के साथ पहले से ही पंजीकृत है तो मौजूदा यूजर आईडी और पासवर्ड का उपयोग वोट डालने के लिए किया जा सकता है।

iii. सदस्य ध्यान दें कि:

क) ई-वोटिंग को सीडीएसएल द्वारा मतदान के लिए उपरोक्त तिथि और समय के बाद अक्षम कर दिया जाएगा। एक बार सदस्य द्वारा संकल्प पर मत डाले जाने के बाद, सदस्य को बाद में बदलने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

ख) जिन सदस्यों ने एजीएम से पहले रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट डाला है, वे भी वीसी/ओवीएम सुविधा के माध्यम से एजीएम में भाग ले सकते हैं, लेकिन एजीएम के दौरान ई-वोटिंग सिस्टम के माध्यम से फिर से अपना वोट डालने के हकदार नहीं होंगे।

ग) 29 वीं एजीएम में भाग लेने वाले सदस्य और जिन्होंने ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट नहीं डाला था, वे 29 वीं एजीएम के दौरान ई-वोटिंग प्रणाली के माध्यम से अपना वोट डालने के हकदार होंगे।

घ) वह व्यक्ति जिसका नाम कट-ऑफ तिथि की जमाकर्तों द्वारा रखे गए सदस्यों के रजिस्टर या लाभांश वारंटों के रजिस्टर में दर्ज है, केवल दूरस्थ ई-वोटिंग की सुविधा और अंतिम लाभांश की पात्रता निर्धारित करने के उद्देश्य का लाभ उठाने का हकदार होगा, जो 29वीं एजीएम के दौरान वीसी/ओवीएम सुविधा और ई-वोटिंग के माध्यम से 29 वीं एजीएम में भाग लेगा, और ई-वोटिंग एजीएम वीसी के माध्यम से आयोजित की जाएगी, इसलिए एसीएम परिपत्रों के अनुसार प्राक्ससी नियुक्त करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी, तदनुसार सदस्य द्वारा प्राक्ससी को नियुक्ति लागू नहीं होगी

किसी भी प्रकार के मामले में, सदस्य www.evotingindia.com पर सहायता अनुभाग के अंतर्गत उपलब्ध अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न ("एफएक्यू") और ई-वोटिंग मैनुअल देख सकते हैं या helpdesks.evoting@csdinia.com पर ईमेल लिख सकते हैं या श्री राकेश दलवी (022-23058542) या श्रीमती सोनिया गुप्ता, कंपनी की कंपनी सचिव को ई-102, 103, ईपीआईपी, सीतापुरा औद्योगिक क्षेत्र, जयपुर - 302022 (राजस्थान), दूरभाष: 0141-2771844 पर कॉल कर सकते हैं और cs@bellacasa.in पर ईमेल कर सकते हैं।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 91 और उसके तहत लागू नियमों और सेबी (लिस्टिंग दायित्वों और प्रकटीकरण आवश्यकताओं) विनियम, 2015 के विनियमन 42 के अनुसार, कंपनी के सदस्यों का रजिस्टर और शेर रजिस्टरण पुस्तकें बुधवार, 10 सितंबर 2025 से मंगलवार, 16 सितंबर 2025 (दोनों दिन शामिल) तक बंद रहेंगी।

श्रीमान मनोष संचेती, प्रैक्टिसिंग कम्पनी सचिव, (FCS 7972, CP 8997) को उचित रूप तथा पारदर्शिता से ई-वोटिंग प्रक्रिया को जानने के लिए संबोधक (Scrutinizer) के तौर पर नियुक्ति किया गया है। रिमोट ई-वोटिंग के नतीजे की घोषणा 18 सितंबर, 2025 को अथवा उससे पूर्व की जायेगी। संबोधक की रिपोर्ट के साथ घोषित परिणाम कम्पनी की वेबसाइट www.bellacasa.in और सीडीएसएल की वेबसाइट www.evotingindia.com पर उपलब्ध होगा और इसे ट्रेडिंग एक्सचेंज बीएसई लिमिटेड और एनएसई लिमिटेड को भी सूचित किया जाएगा, जहां कम्पनी के शेर सूचीबद्ध है।

स्थान: जयपुर
दिनांक 23 अगस्त, 2025

बैला कासा फैशन एंड रिटेल लिमिटेड के लिए एसीडी / सौनिक गुप्ता (कंपनी सचिव)
DNJ-365618

ट्यूरिस्ट के साथ मारपीट कर शराब के लिए रुपए छीनने वाला फर्जी किन्नर गिरफ्तार

ब्यूरो/नवज्योति, जयपुर। सिंधी केम्प थाना पुलिस ने ट्यूरिस्ट के साथ मारपीट कर शराब के लिए रुपए छीनने वाले फर्जी किन्नर को गिरफ्तार किया है। इसके कब्जे से छीना गया माल बरामद किया है। गिरफ्तार आरोपी शहदाब अली उर्फ कमना उर्फ आशु (24) टोंक हाल गलतागेट का रहने वाला है। पुलिस उपायुक्त परिचय हनुमान प्रसाद ने बताया कि फर्चिवादी स्क्रीनल पोर्टल ने रिपोर्ट दी कि हम मुम्बई से जयपुर घूमने आए और होटल चन्द्रगुप्त में ठहरे हुए हैं। रात को हम होटल से बाहर निकले तो हमारे सामने एक किन्नर आया और हमसे रुपए मांगने लगा। हम खुशी से उसे 150 रुपए देने लगे तो उसने कहा की मुझे दारू पीने है, आप कम से कम पांच सौ या

हजार रुपए दो नहीं तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगी, हमने रुपए देने से मना किया तो वह अपने कपड़े उतार कर हमें गंदी गंदी गालियां देना चालू कर दिया। बैग में से कुछ लोहे का चाबी जैसा निकाल कर हमें मार डालने की नीयत से हमला कर दिया। उसने खुद का नाम सायब अली बताया। इस दौरान उसने हमला कर दिया। हमने होटल में घुसकर जान बचाई। होटल वाले के साथ भी इसने गाली गलौच की। इस रिपोर्ट पर थानाप्रभारी श्याम सुन्दर शर्मा के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया। टीम ने जांच कर वाछित आरोपी शहदाब अली उर्फ कमना को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी ने गत छह अगस्त को भी स्टेशन रोड पर एक डॉक्टर के साथ मारपीट रुपए छीन लिए थे।

पेमेन्ट का फर्जी स्क्रीनशॉट दिखाकर एसी की ठगी करने वाला गिरफ्तार

ब्यूरो/नवज्योति, जयपुर। श्याम नगर थाना पुलिस ने पेमेन्ट का फर्जी स्क्रीन शॉट दिखाकर ठगी करने वाला ठग को गिरफ्तार किया है। इसके कब्जे से ठगी कर हासिल की गई छह एसी बरामद किए हैं। गिरफ्तार आरोपी जतिन सुखीना (21) राजापाक नीयर एसी मार्केट आदर्श नगर का रहने वाला है। एडीसीपी ललित शर्मा ने बताया कि परिचिवादी अमित खुल्लर ने रिपोर्ट दी कि गत 21 अप्रैल को जतिन नाम का लड़का मेरी दुकान पर आया और मुझे एक एसी 33200 रुपए में खरीदा था जिसके पेमेन्ट का फोन पर उसने स्क्रीन शॉट जतिन ने मेरे मोबाइल पर वाट्सअप किया था। इसके बाद 22 अप्रैल को जतिन ने दूसरा एसी 33200 रुपए में खरीदा, जिसके पेमेन्ट स्क्रीनशॉट मेरे वाट्सअप किया था। पांच दिन बाद 27 अप्रैल को तीसरा एसी 38000 रुपए में खरीदा था, जिसके पेमेन्ट का स्क्रीनशॉट मेरे नम्बर पर वाट्सअप किया था। फिर आठ मई, 2025 को चौथा एसी 39000 रुपए में खरीदा और जिसका पेमेन्ट भी उसने मेरे नम्बर पर मुझे स्क्रीनशॉट पर कर दिया। गत 11 मई को पांचवा एसी 39000 रुपए में खरीदा, जिससे पेमेन्ट स्क्रीनशॉट पर वह मेरे मोबाइल पर वाट्सअप किया था। इसके बाद सात मई को भी एक एसी 48000 रुपए में खरीदा था। इसका भी पेमेन्ट उसने मुझे स्क्रीनशॉट के मोबाइल पर वाट्सअप किया था। जतिन ने मेरे से छह एसी खरीदे, जिसके पेमेन्ट का ऑनलाइन स्क्रीनशॉट मेरे वाट्सअप किए थे। जब मैंने बैंक जाकर मेरे खाते का स्टेटमेंट चेक किया तो मेरे खाते में जतिन के नाम से पेमेन्ट प्राप्त नहीं हुआ था।

नवज्योति, जयपुर। वनीपार्क थाना इलाके के पानीपच तिरहे पर स्थित जयपुर रेंज कार्यालय की दीवार पर छत्र नेता ने पोस्टर चिपका दिए। खास बात यह है कि हाल ही में दीवार पर पेंट करायाकर उसे आकर्षक बनाया गया था। रेंज कार्यालय में तैनात कास्टेबल छीतर सिंह ने इस संबंध में वनीपार्क थाने में छत्रनेता अजय यादव के खिलाफ शिकायत दर्ज करावाई। पुलिस ने सरकारी संपत्ति विरूपण की धाराओं में केस दर्ज किया है। बताया गया कि छत्रनेता ने दीवार पर बने अलग-अलग बॉक्स पर हर जगह अपने पोस्टर चिपका दिए, जिससे पूरी दीवार खराब हो गई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है।

साले ने किया जीजा का अपहरण महिला समेत दो गिरफ्तार

नवज्योति, जयपुर। गलतागेट थाना इलाके में एक अनोखा मामला सामने आया है। मामले में साले ने अपनी महिला मित्र के साथ मिलकर जीजा से मोबाइल पर पहले तो प्यार भरी बातें कराई और प्रेम जाल में फंसाया, बाद में अन्य साधियों के साथ मिलकर उसका अपहरण कर लिया। पुलिस ने प्रकरण में शामिल महिला समेत अपहरण के उपयोग में ली गई कार के चालक को शनिवार को गिरफ्तार किया। अब तक जांच में यह तथ्य सामने आया है कि पीड़ित किशन गोस्वामी और उसकी पत्नी के बीच तलाक का मामला चल रहा है। जीजा की सबक सिखाने के लिए आरोपी रवि ने यह कदम उठाया है। प्रकरण में वाछित चल रहे साले समेत अन्य की पुलिस तलाश कर रही है। पुलिस उपायुक्त उतर करण

अंतिम एक सप्ताह और मानसरोवर में एयर कूल एण्ड वाटर पूफ़ हनुमं देवियों

एशियाड सर्कस

एशियाड सर्कस
सुबह 9 से 12 बजे तक

रोजाना 3 शो:
1 बजे, 4 बजे व 7:30 बजे

स्थान: वी.टी. रोड, शिप्रापथ थाना, मानसरोवर, जयपुर

ऑफिस जानकारी के लिए सम्पर्क करें: 9624935319, 8859478776, 9456934419

DNJ-365630

अहमदाबाद की फ्लाइट रद्द
जयपुर। जयपुर से अहमदाबाद जाने वाली फ्लाइट शनिवार को रद्द रही। स्पाइसजेट एयरलाइन की फ्लाइट जयपुर से सुबह 7.30 बजे अहमदाबाद जाती है। शनिवार

को यात्री एयरपोर्ट पहुंच गए। वहां जाने पर फ्लाइट के रद्द होने की जानकारी मिली। यात्रियों का आरोप है कि एयरलाइन ने उन्हें फ्लाइट रद्द की जानकारी पहले नहीं दी।

माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर

वर्ष 2026 हेतु ऑनलाइन परीक्षा आवेदन-पत्र भरने की तिथियां में संशोधन की सूचना

वर्ष 2026 की परीक्षाओं में समीक्षा हेतु वाले समस्त निम्नलिखित एवं संशोधित परिधिषिमें के ऑनलाइन परीक्षा आवेदन-पत्र भरने एवं शुरू जमा करने की अंतिम तिथियां में निम्नानुसार संशोधन किया गया है:-

परीक्षा शुल्क	आवेदन पत्र भरने की आरंभ तिथि	आवेदन पत्र भरने एवं घालाना सुनिश्चित करने की अंतिम तिथि	परीक्षा शुल्क बैंक में जमा कराने की अंतिम तिथि	आवेदन पत्र एवं घालाना जमा करने की अंतिम तिथि
सामान्य परीक्षा शुल्क से	24.07.2025	03.09.2025	10.09.2025	18.09.2025
एक अतिरिक्त परीक्षा शुल्क सहित	04.09.2025	10.09.2025	15.09.2025	18.09.2025
असामान्य परीक्षा शुल्क (केसर स्पर्धकों हेतु) विज्ञापन संख्या 2025/1	11.09.2025	25.09.2025	04.10.2025	

1. आवेदन पत्र भरने से संबंधित अन्य प्रक्रिया/शुल्क पूर्व की भांति रखकर रहें।
2. आवश्यक निर्देश बोर्ड की वेबसाइट <https://rajeduboard.rajasthan.gov.in> पर देखें।

सचिव
DNA 365625

भारत सरकार

आयुष मंत्रालय

आयुष भवन

'वी' ब्लॉक, जीपीओ कॉम्प्लेक्स, आईएनए, नई दिल्ली- 110023

वेबसाइट : www.ayush.gov.in

सार्वजनिक सूचना

आम जनता को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि आयुष मंत्रालय, भारत सरकार न तो किसी आयुर्वेदिक, सिद्ध, यूनानी और होम्योपैथिक (एएसयूएडएच) कम्पनी या उनकी दवा / औषधि को प्रमाणित / अनुमोदित करता है और न ही किसी आयुर्वेदिक, सिद्ध, यूनानी और होम्योपैथिक (एएसयूएडएच) निर्माता / कंपनी को विक्री हेतु विनिर्माण का लाइसेंस प्रदान करता है। इसके अलावा, औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के मौजूदा प्रावधानों के अनुसार, किसी एएसयूएडएच दवा / औषधि की विक्री हेतु विनिर्माण का लाइसेंस संबंधित राज्य / संघ राज्य क्षेत्र के राज्य / संघ राज्य क्षेत्र लाइसेंसिंग प्राधिकरण (एसएलए) द्वारा प्रदान किया जाता है।

2. आयुष मंत्रालय एतद्वारा जनता को सूचित किया जाता कि-

- ऐसी एएसयूएडएच औषधियों का विज्ञापन करना अवैध है जिनमें रोगों के उपचार हेतु चमकरी या अलौकिक प्रभावों का दावा किया जाता है। इस तरह के विज्ञापन असत्यापित या झूठे दावों को बढ़ावा देकर जन स्वास्थ्य को प्रभावित और खतरे में डाल सकते हैं।
- औषधि एवं चमत्कारिक उपचार (आशेषणीय विज्ञापन) अधिनियम, 1954 में कतिपय रोगों और अवस्थाओं के उपचार हेतु दवाओं और चमत्कारिक उपचारों के विज्ञापन पर कड़ी रोक लगाई गई है। यदि कोई भी व्यक्ति इस अधिनियम के उल्लंघन का दोषी पाया जाता है तो कानून के तहत निर्धारित दंड का प्रावधान है।
- औषधि नियम, 1945 की अनुसूची ई-1 में उल्लिखित औषधियों युक्त आयुर्वेदिक, सिद्ध और यूनानी (एएसयू) दवाओं का सेवन संबंधित आयुष चिकित्सा पद्धति के पंजीकृत चिकित्सक की देख रेख और मार्गदर्शन में किया जाना अनिवार्य है। ऐसी दवाओं के कंटेनर पर हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में " चेतावनी- चिकित्सकीय देख रेख में ली जाए" निर्देश लिखा होगा। आम जनता को सलह दी जाती है कि वे आयुष पद्धतियों के पंजीकृत चिकित्सकों से परामर्श करने के बाद ही ऐसी औषधियों का उपयोग करें।
- आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी और होम्योपैथी (एएसयूएडएच) दवाओं / औषधियों से स्वयं निदान करने या स्वयं-दवा लेने से बचना चाहिए। यह सुझाव दिया जाता है कि स्वास्थ्य से जुड़ी किसी भी समस्या के लिए हमेशा पंजीकृत आयुष चिकित्सकों से परामर्श करें।
- आम जनता को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि वे एएसयूएडएच दवाओं / औषधियों के संबंध में उपर्युक्त तथ्यों से अवगत रहें और ऐसी दवाओं / औषधियों के प्रामाणिकता को संरक्षण देने से बचें। जनता से भी अनुरोध है कि ऐसे किसी भी आपत्तिजनक विज्ञापन, झूठे दावे, नकली दवा आदि की रिपोर्ट औषधि नीति अनुभाग, आयुष मंत्रालय (email : ayush-medicine@gov.in) तथा संबंधित राज्य लाइसेंसिंग प्राधिकरण को भेजें ताकि उचित कार्रवाई की जा सके।

J-11019/01/2017-DCC(AYUSH)
CBC 17201/11/0003/2526

आयुष मंत्रालय
DNA- 365619

सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग वर्ष 2025 - 26 के लिए एससी तथा अन्य लाभवंचित समूहों के छात्रों हेतु मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत छात्रवृत्तियों की घोषणा करता है।

यटक 1: एससी छात्रों के लिए मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति

पात्रता	कार्य क्षेत्र	छात्रवृत्ति
● एससी वर्ग से संबंधित छात्र	● मान्यता प्राप्त विद्यालयों के कक्षा 9 तथा कक्षा 10 में अध्ययनरत छात्र	● प्रतिवर्ष डे स्कॉलर के लिए 3500/- रुपए और होटलर के लिए 7000/- रुपए का अकादमिक भता
● माता - पिता / अभिभावक की वार्षिक आय 2.50 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए	● लाभार्थियों का चयन राज्य सरकार/ संघ राज्य क्षेत्र द्वारा किया जाएगा	● दिव्यांग छात्रों (विशेष रूप से मक्षम) के लिए 10% अतिरिक्त भता
● सबसे गटीब परिवारों के आवेदकों को प्राथमिकता		

यटक 2: अस्तव्छ एवं खतरनाक व्यवसाय में कार्यरत माता - पिता/अभिभावकों के बच्चों के लिए मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति

पात्रता	कार्य क्षेत्र	छात्रवृत्ति
● छात्र जिनके माता-पिता/अभिभावक अस्तव्छ एवं खतरनाक व्यवसाय में कार्यरत हैं	● मान्यता प्राप्त विद्यालयों के कक्षा 1 से कक्षा 10 में अध्ययनरत छात्र	● प्रतिवर्ष डे स्कॉलर के लिए 3500/- रुपए और होटलर के लिए 8000/- रुपए का अकादमिक भता
● कोई आय सीमा पात्रता नहीं है	● लाभार्थियों का चयन राज्य सरकार/ संघ राज्य क्षेत्र द्वारा किया जाएगा	● दिव्यांग छात्रों (विशेष रूप से मक्षम) के लिए 10% अतिरिक्त भता
	● सबसे गटीब परिवारों के आवेदकों को प्राथमिकता	

● छात्र के पास वैध मोबाइल नम्बर, आधार नम्बर (यूआईडी), आधार से जुड़ा बैंक खाता, आय प्रमाण-पत्र, पिछले वर्ष की मार्केटींग तथा जाति प्रमाण-पत्र होना चाहिए।

● योजना के दिशा-निर्देश तथा विस्तृत पात्रता मानदंड नीचे दिए गए लिंक पर उपलब्ध है।

<https://socialjustice.gov.in/schemes/23>

cbc38101/11/0012/2526

योजना के दिशा-निर्देशों के लिए QR कोड स्कैन करें
DNJ 365623